उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

18 जनवरी, 2017 ई0

सं0 F-9(25)(I)/RG/UERC/2017/1596—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 48 (1) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 48 के उप—विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात् :—

(1) ओपन साईकल गैस टर्बाइन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशनों के लिये मानकीय ओ एंड एम व्यय निम्नानुसार होंगे:

वर्ष	गैस टर्बाईन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशन		लघु गैस टर्बाईन ऊर्जा उत्पादक स्टेशन (50 मेगावाट यूनिट आकार से छोटे)	एडवॉन्स एफ क्लास मशीनंस
	10 वर्षों के लिये वारंटी स्पेयर्स के साथ	वारंटी स्पेयर्स के बिना		
2015—16	9.25	13.87	16.83	28.36
2016—17	9.86	14.79	17.95	30.29
2017—18	10.52	15.77	19.14	32.35
2018—19	11.22	16.82	20.41	34.56

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।